डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 09/2023-24 के परिशिष्ट 5 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमआईएएल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट 5

तृतीय तल, उड़ान भवन,
डी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 31 जुलाई, 2024

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. ऐरा की अपील संख्या 4/2023 में उपर्युक्त विषय-वस्तु के संबंध में पारित माननीय दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के दिनांक 19.12.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली की अवधि 29.02.2024 तक बढ़ाई गई थी।

2. इसके बाद, माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 21.02.2024, 22.03.2024 और 30.04.2024 के अंतरिम आदेश के अनुरूप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/- रूपए की दर से विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली की अवधि क्रमशः 22.03.2024, 10.05.2024 और 31.07.2024 तक बढ़ाई गई है।

3. यह मामला दिनांक 24.07.2024 को माननीय टीडीएसएटी के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें माननीय अधिकरण ने निदेश दिया:

1. हमने प्रत्यर्थियों - ऐरा और एएआई - की ओर से वकीलों (कांउसिलों) को सुन लिया है
2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील प्रत्यर्थियों की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांग रहे हैं।
3 इसलिए यह मामला 1.8.2024 तक स्थागित किया जाता है
4 इस अधिकरण द्वारा दिनांक 19.12.2023 के आदेश के माध्यम से दी गई अंतरिम राहत ऐरा की इस अपील के लंबित रहने और अंतिम सुनवाई होने तक लागू रहेगी।

4. तदनुसार, चूंकि यह मामला 01.08.2024 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए माननीय दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में प्रति अंतरदेशीय यात्री 100/- रूपए और प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री 600/-रूपए की दर से डीएफ की वसूली की अवधि 01.08.2024 तक बढ़ा दी गई है।

5. ऐरा के दिनांक 14.06.2023 के आदेश 09/2023-24 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई - 400 099.

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110 003.
(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.